



सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **CWP No. 13048 of 2019 titled as Naresh Vs. State of Haryana and the connected matters** के आदेशों की पालना हेतु आस्टीज प्लाट धारको को पहली किस्त की राशि 30 दिन के अन्दर जमा करवाने हेतु दिनांक 01.12.2023 से 30.12.2023 तक का समय दिया गया था । प्लाट धारको से मिली शिकायत के अनुसार दिनांक 30.12.2023 को एक दिन के लिए तकनीकी खराबी की वजह से कुछ आस्टीज प्लाट धारक उपरोक्त राशि उपरोक्त समय सीमा में जमा नहीं करा सके। इसलिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त आस्टीज प्लाट धारको को उपरोक्त राशि जमा कराने के लिए एक मौका दिया जायें। तदानुसार उपरोक्त आस्टीज प्लाट धारको को पहली किस्त की राशि जमा करवाने के लिए दिनांक 14.02.2024 से 21.02.2024 तक दो दिन का समय दिया जाता है। जिसकी विस्तारित जानकारी सम्पदा अधिकारी कार्यालय सैक्टर-15, सोनीपत से प्राप्त की जा सकती है।


05/02/2024
सम्पदा अधिकारी
ह.श.वि.प्रा., सोनीपत।
eosnphsvp1@gmail.com
Mob No.9467599507

संशोधन

सम्पदा अधिकारी हुडा, सोनीपत द्वारा **CWP No. 13048 of 2019 titled as Naresh Vs. State of Haryana and the connected matters** के तहत विज्ञापन दिनांक 08.02.2024 को दिया गया था जिसमें आस्टीज प्लॉट धारको को पहली किस्त की राशि जमा करवाने के लिए दिनांक 14.02.2024 से 21.02.2024 तक दो दिन का समय दिया गया था। जो कि गलती से दो दिन छपा गया है जिसके लिए खेद है। कृप्या इसे दो दिन की जगह सात दिन समझा जायें।


सम्पदा अधिकारी,
हुडा, सोनीपत